HRAA HISTONIA

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2008/आषाढ़ 5, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2008/ASADHA 5, 1930

No. 349]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2008

सा.का.नि. 478(अ),—कंन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अथात :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता (संशोधन) नियम, 2008 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 4 का संशोधन :— डाकधर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 4 की सारणी में, "क. व्यष्टि खाता" शीर्षक के अधीन एकल खाते से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने स्तंभ 5 के नीचे की प्रविद्धि में, "व्यस्क, निरक्षर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "खाता प्रचालित कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निग्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(क) वयस्क; या
 - (ख) कोई निरक्षर वयस्क व्यक्ति उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी साक्षर अभिकर्ता की मार्फत्; या
 - (ग) कोई नेत्रहीन या शारीरिक रूप से अन्यथा विकलांग वयस्क व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या उसके द्वारा नामनिर्देशित किसी साक्षर अधिकर्ता की मार्फत्।"।

[फा.सं.17/5/2005-एनएस-II]

एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 663(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् (1) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 2 जनवरी, 1987, (2) सा.का.नि. 948(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1987, (3) सा.का.नि. 5(अ), तारीख 5 जनवरी, 1989.

- (4) सा.का.नि. 430(अ), तारीख 6 अप्रैल, 1989,
- (5) सा.का.नि. 695(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989,
- (6) सा.का.नि. 813(अ), तारीख 4 सितम्बर, 1989,
- (7) सा.का.नि. 1001(अ), तारीख 8 नवम्बर, 1989,
- (8) सा.का नि. 499(अ), तारीख 8 जुलाई, 1993,
- (9) सा.का.नि. 165(अ), तारीख 28 फरवरी, 2000.
- (10) सा.का.नि. 349(अ), तारीख 10 मई, 2002,
- (11) सा.का.नि. 431(अ), तारीख 14 जून, 2002,
- (12) सा.का.नि. 587(अ), तारीख 25 जुलाई, 2003,
- (13) सा.का.नि. 286(अ), तारीख 13 मई, 2005,
- (14) सा.का.नि. 509(अ), तारीख 27 जुलाई, 2005, और (15) सा.का.नि. 481(अ), तारीख 11 जुलाई, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2008

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Account Rules, 1981, namely:—

 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Post Office Savings Account (Amendment) Rules, 2008.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of rule 4.— In the Post Office Savings Account Rules, 1981, in rule 4, in the Table under the heading "A. Individul Accounts", against Serial No. 1, relating to Single Account, under column 5, in the entry, for the portion beginning with the words "The adult. An Illiterate" and ending with the words "for the purpose", the following shall be substituted, namely:—
 - "(a) The adult; or
 - (b) An illiterate adult through a literate agent nominated by him or her; or
 - (c) A blind or otherwise physically handicapped adult, either directly or through a literate agent nominated by him or her".

[F. No. 17/5/2005-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note: The Principal rules were published vide G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981, and subsequently amended vide :- (1) G.S.R. 8(E), dated the 2nd January, 1987, (2) G.S.R. 948(E), dated the 2nd December, 1987, (3) G.S.R. 5(E), dated the 5th January, 1989, (4) G.S.R. 430(E), dated the 6th April, 1989, (5) G.S.R. 695(E), dated the 17th July, 1989, (6) G.S.R. 813(E), dated the 4th September, 1989, (7) G.S.R. 1001(E), dated the 8th November, 1989, (8) G.S.R. 499(E), dated the 8th July, 1993, (9) G.S.R. 165(E), dated the 28th February, 2000, (10) G.S.R. 349(E), dated the 10th May, 2002, (11) G.S.R. 431(E), dated the 14th June, 2002, (12) G.S.R. 587(E), dated the 25th July, 2003, (13) G.S.R. 286(E), dated the 13th May, 2005, (14) G.S.R. 509(E), dated the 27th July, 2005 and (15) G.S.R. 481(E), dated the 11th July, 2007.